मैसर्स नीलदीप इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड

बनाम

कस्टोडियन और अन्य (दीवानी याचिका संख्या 1528/ 2005

13 मार्च 2008

{सी.के. ठक्कर तथा अल्तमस कबीर, जे.जे.}

विशेष न्यायालय (प्रतिभूतियों के लेनदेन से सम्बन्धित अपराधों का विचारण (परीक्षण) अधिनियम 1992 धारा 10 अधिसूचित पक्ष की ओर से निर्णीत ऋणी (मैसर्स) से वसूली की याचिका- अधिसूचित पक्ष और उसका पुत्र जिसको नोटिस दिया गया निर्णीत ऋणी के बहुमत शेयरधारक - डिक्री निर्णीत ऋणी के विरूद्ध पारित गार्निशियों को नोटिस दिया गया- नोटिस प्राप्तकत्र्ता बार-बार न्यायालय द्वारा निष्पादन कराने में कठिनाईयां उत्पन्न कर रहे- नोटिसी को 03 माह का साधारण कारावास की सजा व जुर्माना- चुनौती दी। अपील स्वीकार - पक्षकार तीन किश्तों में भुगतान करने को सहमत- इस प्रकार अभिरक्षक द्वारा अवमूल्यन राशि के आदेश में संशोधन के आवेदन में देखते हुए- डिक्रीटल राशि (ब्याज व स्टाॅम्प ड्यूटी सहित पूरी राशि) को संशोधित किया- निर्णीत ऋणी को संतुलित डिक्रीटल राशि का तीन समान किश्तों में दी गई तिथि तक भुगतान करने को निर्देशित किया- विशेष न्यायालय को दिये गये गार्निशी नोटिस स्थगित- भुगतान करने में चूक की स्थिति में, आदेश चुनौती के अधीन पुनजीर्वित होगा।)

विशेष न्यायालयों के अधीन (प्रतिभूतियों में लेनदेन से सम्बन्धित अपराधों का विचारण) अधिनियम 1992, बी.डी.(भुवन दलाल) नोटिसी मनन दलाल का पिता- अधिसूचित पक्ष घोषित किया गया, अधिसूचित पक्ष निर्णीत ऋणी अपीलकर्ता कम्पनी

बहुमत शेयर होल्डर है जो नोटिस प्राप्तकत्र्ता एम.डी. के साथ हैं- कस्टोडियन ने अधिसूचित पक्ष बी.डी. की ओर से अपीलकत्र्ता कम्पनी से रूपयें 1,42,65,000/- मय ब्याज की वसूली हेतु याचिका अधिनियम के अन्तर्गत दायर की- विशेष न्यायालय ने एक डिक्री पारित की- इसी दौरान कस्टोडियन पे अधिसूचित पक्ष से कोई बकाया राशि यदि कोई हो को प्रकट करने के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी किया। इसके बाबजूद निर्णीय ऋणी ने यह प्रकट नही किया कि उनके उपर बहुत बडी राशि बकाया थी- अधिसूचित पक्ष को आयकर विभाग से जानकारी प्राप्त हुई- कस्टोडियन ने याचिका दायर की, निर्णीत ऋणी ने उक्त दायित्वों को स्वीकार किया। जिसके आधार पर विशेष न्यायालय ने निर्णीत ऋणी के विरूद्व एक डिक्री पारित की- इसके बाद डिक्री के निष्पादन के लिए विविध आवेदन पेश किया गया। जिसमें निर्णीत ऋणी व उसके निदेशकों पर उनकी सम्पत्तियों के निपटान व हस्तान्तरण करने पर रोक लगाने का अन्तरिम आदेश दिया गया। नोटिस प्राप्तकत्र्ता द्वारा एक शपथ पत्र पेश किया गया कि निर्णीत ऋणी को छहः पक्षों से पर्याप्त रकम वसूली करना था- कस्टोडियन ने गार्निशी को नोटिस निकाला- इसके बाद गार्निशी उपस्थित हुआ और शपथपत्र दायर किया कि उनका निर्णय निर्णीत ऋणी पर राशि बकाया है- जो निर्णीत ऋणी द्वारा विभिन्न कम्पनियों के शेयर की स्वीकृति द्वारा समायोजित थे- इसके बाद विशेष न्यायालय ने एक आदेश पारित किया कि नोटिस प्राप्तकत्र्ता निर्णीत ऋणी और उसके निदेशकों सम्पत्तियों का निस्तारण कर आदेश की पालना नहीं किये जाने का प्रयास किया है।

विविध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। कारण बताओं नोटिस जारी किया गया, विशेष न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलकत्र्ता जरिये नोटिस प्राप्तकत्र्ता पुत्र अधिसूचित पक्ष बी.डी. ने बार-बार न्यायालय और कस्टोडियन के रास्ते में डिक्री और इसका निष्पादन कराने में कठिनाईयों उत्पन्न की है। नोटिस प्राप्तकत्र्ता एम.डी. को तीन महिने का साधारण कारावास मय जुर्माना 2,000/- रूपये की सजा सुनाई गई। विशेष

न्यायालय ने आदेश को स्थगित कर दिया, इस बीच न्यायालय के समक्ष अधिनियम की धारा 10 के अधीन अपीलकत्र्ता ने अपील दायर की। विस्तरित करने का स्टे दिया गया। अपीलकत्र्ता द्वारा इस बात पर सहमत होने पर मामला स्थगित किया गया कि सम्पूर्ण डिक्रीटल देय राशि 1,42,56,000/- रूपयें का भुगतान किया जा सकता था। इसके बाद पक्षकार सहमत हुए कि तीन किश्तों में राशि का भुगतान किया जाएगा। अपीलकत्र्ता द्वारा दो किश्तों का भुगतान किया गया व तीसरी किश्त का भुगतान किया जाना था। मामले को बार-बार स्थगित किया गया, कस्टोडियन ने संशोधन के लिए आवेदन दायर किया। डिक्री में दी गई मूल राशि को सही करके 1,74,79,500/- रूपयें में से 15,75,000/- की राशि घटाया जाकर कस्टोडियन द्वारा पूर्व से ही राशि बरामद कर ली गई है।

न्यायालय द्वारा अपील का निस्तारण करते हुए मानाः

1.1 तथ्य यह है कि राशि 1,42,000/- व 32,14,500/- की राशि दो अलग-अलग डिक्री पारित की गई है जो विवादित नही है, हालांकि यह स्थापित करने का प्रयास किया गया था कि वो दोनों अलग-अलग है और उन्हें अलग-अलग ही निस्तारण करना होगा। यह दलील दी गई कि 20 जनवरी 2006 को डिक्रीटल राशि 1,42,65,000/- का भुगतान तीन किश्तों में दिया जावेगा और कस्टोडियन द्वारा यह दावा किया गया कि शेष राशि 32,14,500/- ब्याज सहित स्वीकृत नही की जा सकती जो कस्टोडियन द्वारा विविध आवेदन 470/ 1999 में पारित आदेश दिनांकित 19 सितम्बर 2003 को दिया गया। विशेष न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री में डिक्रीटल राशि 1,59,04,500/- राशि मय ब्याज संशोधित किया गया तथा राशि 15,75,000/- रूपयें दिया जो कि कस्टोडियन द्वारा पहले से ही बरामद किया जा चुका है। {पैरा 14 व 15} {95 सी,डी,ई,एफ,जी}

1.2 विशेष न्यायालय ने विविध याचिका संख्या 43/ 1995 में अपीलकत्र्ता को यह निर्देशित किया कि वे 30 जून, 2008 तक मय ब्याज डिक्रीटल राशि का भुगतान तीन समान किश्तों में अप्रेल, 2008 से प्रारम्भ कर जमा करायें। विशेष न्यायालय मुंबई की गार्निशी नोटिस की सुनवाई पर इस तरह के भुगतान में चूक होने की स्थिति में क्रियान्वयन पर रोक लगाई गई, और उक्त आदेश के विरूद्व अपील में पुनर्जीवित हो जावेगा। {पैरा 16} {95 एच, 96 ए,बी,सी}

ए- अन्तिम निर्णय व आदेश दिनांकित 12.01.2005 विशेष न्यायालय (प्रतिभूतियों में लेनदेन से सम्बन्धित अपराधों का विचारण) मुंबई की विविध याचिका संख्या 470/ 1999 में विविध याचिका संख्या 43/ 1995 नोटिस नम्बर 26/ 2003 कारण बताओं नोटिस जारी किया गया।

एल. नागेश्धर राव, एस.आर. मिश्रा, शैलेन्द्र नारायण और विमला चन्द्र एस.दबे अपीलकत्र्ता के लिए।

सुब्रमण्यम प्रसाद - उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

अल्तमस कबीर जे.

01- यह अपील विविध याचिका नम्बर 43/ 1995 में उत्पन्न हुई विविध याचिका नम्बर 470/ 1999 में जारी कारण बताओं नोटिस नम्बर 26/ 2003 में विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांकित 12.01.2005 को विशेष न्यायालय (प्रतिभूतियों में लेनदेन से सम्बन्धित अपराधों का विचारण) अधिनियम 1992 की धारा 10 के अन्तर्गत चुनौती देते हुए दायर की गई। विद्वान विशेष न्यायाधीश के निर्णय और आदेश दिनांकित 12.01.2005 में यह निष्कर्ष पाया गया कि अपीलकत्र्ता का आचरण नोटिसधारी, भूपेन दलाल का पुत्र शुरू से ही डिक्री पारित करने में बार-बार न्यायालय व

कस्टोडियन के रास्ते में कठिनाईयां उत्पन्न करता था और इसके बाद निष्पादन में भी इसी प्रकार से करता रहा है। इन परिस्थितियों में मिलन दलाल नोटिस प्राप्तकत्र्ता को तीन माह का साधारण कारावास और 2,000/- रूपयें का जुर्माना दिये जाने की सजा सुनाई गई, यह आदेश 12 सप्ताह के लिए स्थगित की गई जिसकी अपील न्यायालय में की गई और दिनांक 18.03.2005 को नोटिस जारी किये गये, नोटिस जारी करने के दौरान न्यायालय द्वारा यह निर्देश दिये गये कि विशेष न्यायालय ने चार सप्ताह का समय पूर्व से ही अनुदानित किया है, दिनांक 29.09.2005 को अग्रिम आदेश आने तक यह स्थगन आदेश यथावत रखा गया।

02. दिनांक 05.01.2006 को अपील सुनवाई के लिए बुलाई गई तथा न्यायालय में निम्नलिखित आदेश पारित किया गयाः-

> ‘‘प्रथमदृष्टया हमारी राय है कि अपील के तहत आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है, हालांकि विद्वान सोलीसिटर जनरल के सुझाव पर अपीलकत्र्ता को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या वह सम्पूर्ण डिक्रीटल राशि 1,42,56,000/- राशि का भुगतान कर सकता है।
>
> मामले को दो सप्ताह के लिए स्थगित किया जाता है।"

03. उन परिस्थितियों की सराहना करने के लिए जिनमें उपरोक्त आदेश पारित किया गया है, जो तथ्य सामने आये, इस न्यायालय में सिविल अपील दाखिल करने का विवरण यहां संक्षेप में दिया गया है।

04. नोटिस पाने वाले मिलन दलाल के पिता भूपेन दलाल थे जिनको विशेष न्यायालय (प्रतिभूति के लेनदेन से सम्बन्धित अपराधों की सुनवाई प्रतिभूति अधिनियम 1992 जिसे इसके बाद 1992 अधिनियम के रूप में जाना जाएगा) के प्रावधानों के तहत

एक अधिसूचित पक्ष घोषित किया गया। कस्टोडियन ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत विविध याचिका नम्बर 43/ 1995 अधिसूचित पक्ष की ओर से अपीलकत्र्ता कम्पनी मैसर्स नीलदीप इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी से 1,42,65,000/- रूपये मय ब्याज प्राप्त करने हेतु दायर की। दिनांक 08.06.1995 को विशेष न्यायालय ने याचिका पर एक डिक्री पारित की और निर्धारित किया कि निर्णीत ऋणी मैसर्स नीलदीप इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी नोटिस प्राप्तकत्र्ता मिलन दलाल के साथ अधिसूचित पक्ष बहुमत शेयर धारक है। यह भी नोट किया गया कि भूपेन दलाल अधिसूचित रहे कि कस्टोडियन द्वारा एक सार्वजनिक नोटिस पक्षकारों को इस बाबत जारी किया गया है कि यदि किसी अधिसूचित पक्षकार का कोई बकाया हो तो बताया जावें। इस सार्वजनिक नोटिस के बाबजूद निर्णीत ऋणी जो व्यवहारिक रूप से एक परिवार था, जिन्होने इस बात का खुलासा नही किया कि उन पर भारी रकम बकाया है। यह नोट किया गया कि कस्टोडियन को इनके दायित्व की जानकारी आयकर विभाग से प्राप्त हो गई। इस जानकारी के आधार पर कस्टोडियन ने विविध याचिक नम्बर 45/ 1995 पेश की।

05. निर्णीत ऋणी उक्त कार्यावाहियों में उपस्थित हुआ और दायित्वों को स्वीकार किया तथा विद्वान विशेष न्यायाधीन द्वारा निर्णीत ऋणी के विरूद्व डिक्री पारित की गई।

06. उक्त डिक्री में दिये गये आदेश के निष्पादन के लिए कस्टोडियन ने एक विविध याचिका नम्बर 04/ 1999 और उक्त याचिका पर दिनांक 24.11.1999 को न्यायालय ने एक अन्तरिम आदेश पारित कर निर्णीत ऋणी और उसके निवेशकोे को उनकी किसी भी सम्पत्ति से निपटने, निपटान करने, स्थानान्तरित करने या अलग करने या कब्जा करने से किसी भी तरह से रोक दिया। नोटिसी निर्णीत ऋणी के ओर से एक हलफनामा पेश किया गया जिसमें छः पक्षकारों से पर्याप्त वसूली की जानी थी जिनका नाम 01- मैसर्स लाइटहाउस इन्वेस्टमेन्ट लिमिटेड, 02- ओशियनिक इन्वेस्टमेन्ट लिमिटेड, 03-

कल्पवृक्ष होल्डिंग्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, 04- हरिशरण डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड, 05- मैसर्स एस. रामदास तथा 06- मैसर्स अनमोल केमिकल्स (गुजरात) लिमिटेड।

07. कस्टोडियन ने नोटिस प्राप्तकत्र्ता द्वारा दिनां 15.12.1999 को दिये गये हलफनामें में दी गई सूचना के खुलासे के आधार पर गारनिशी नोटिस निकाला। गारनिशीयो ने नोटिस को ध्यान में रखते हुये वे हलफनामे पेश करते हुए उपस्थित हुये और यह बचाव लिया कि हालांकि निर्णीत ऋणो पर बकाया राशि देय होना स्वीकार है लेकिन यह देय रकम का समायोजन विभिन्न कम्पनियों के बकाया शेयर का पुर्नभुगतान होने पर देय होना है। इस चरण में विशेष न्यायालय ने आदेश दिनांक 24.11.1999 के संदर्भ मे एक आदेश दिनांक 19.09.2003 को पारित किया जिसकी अनुपालना में उक्त आदेश दिनांकित 19.09.2003 में उक्त अधि0 के धारा 11-ए के तहर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसमें कहा गया कि नोटिस प्राप्तकर्ता ने आदेश दिनांक 24.11.199 की अनुपालना नही करने का प्रयास किया है। यद्यपि नोटिस प्राप्त कर्ता द्वारा अपने बचाव में किया गया विद्वान विशेष न्यायालय ने आदेश दिनांक 12.01.2005 में यह कहा कि नोटिस प्राप्तकर्ता के आचरण से यह दर्शाता है कि उसने न्यायालय व कस्टोडियन के रास्ते में बार-बार कठिनाईयां पैदा करने की कोशिश की है। पहले तो डिक्री पारित करवाने में ओर उसके बाद डिक्री के निष्पादन के मामले में विद्वान विशेष न्यायाधीश ने तदनुसार यह महसूस किया कि ऐसा करना उचित होगा कि नोटिस प्राप्तकर्ता पर निवारक दंड अधिरोपित किया जावे ओर उसे 3 माह का साधारण कारावास व 2000/ रूपये का अर्थदंड देना होगा।

08. इसी प्रष्ठभूमि में दिनांके 20.01.2006 को इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:

"अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तावित है कि उसका मुवक्किल राशि 12625000/ का भुगतान करेगा जो रशि 1420000 (एक करोड 42 लाख) डिकीटल राशि का संतुलन होगा जो सन् 2006 के दौरान गानिर्शी द्वारा तीनाे किश्तो में भुगताया जाना है। पहली किश्त 3 अप्रेल 2006, दूसरी किश्त 10 जुलाई और तीसरी किश्त 4 दिसंबर 2006 तक भुगताई जावेगी।

कस्टोडियन की ओर से विद्वान सोलिसिटर जनरल ने उपस्थित होकर कहा कि जहां तक अव माननना किये जाने की बात है उसका मुवक्किल अपीलकर्ता का प्रस्ताव स्वीकार करने का इच्छुक है पंरतु निवेदन किया गया कि डिक्रीटल राशि का भुगतान अपीलकर्ता के अन्तिम दायित्व काे प्रभावित नही करना चाहिए।

इस मामले को ध्यान में रखते हुये हम आदेश को पक्षकारो की सहमति के आधार पर स्थगित करते है कि 3 अप्ैरल 2006 तक याचिकाकर्ता न्यायालय में पहली किश्त लेकर आयेगा। अब इस प्रकार सभी किश्तो का भुगतान उपरोक्तानुसार किया जाना है, यह अपील स्वीकार की जाती है तथा उच्च न्यायालय का आदेश अपास्त किया जाता है तथा गारनिशी नोटिस का उन्मोचन किया जाता है।

किसी भी किश्त के हिस्से के भुगतान में चूक होने पर इसके बाद अपील खारिज कर दी जावेगी ओर उच्च न्यायालय का आदेश प्रभावी होगा।

दिनांक 03.04.2006 तक के लिये स्थगित।"

09. आदेश दिनांक 03.04.2006 के अनुसरण में अपीलकर्ता पहली किश्त के भुगतान के लिये दो चैक लाया। मामले में यह निर्देशित किया कि क्या चैक विधिवत् भुनाये गये है यह दो सप्ताह मे सुनिश्चित किया जावे। इसके बाद दिनांक 14.07.2006 को यह दर्ज किया गया कि दिनांक 10.07.2006 को देय दूसरा चैक का भुगतान भी 20.01.2006 के आदेश की शर्तानुसार कर दिया गया और तीसरी किश्त दिनांक 4.12.2006 को दी जानी थी। मामले काे दिसम्बर 2006 के अंतिम सप्ताह में सूचीबद्ध किये जाने का निर्देश दिया गया व इसी बीच गारनिशी नोटिस की सुनवाई विशेष न्यायालय मुंबई मे स्थगित हो गई।

10. इसके बाद उक्त मामला 4 सप्ताह की अवधि के लिये स्थगित कर दिया जाने पर दिनांक 22.01.2007 को सामने आया ओर फिर पुनः 23.02.2007 को हलफनामों का पुनः संयोजन हेतु 4 सप्ताह की अवधि के लिये स्थगन बढा दिया गया। दिनांक 30.03.2007 को 4 सप्ताह के लिये तीसरी बार स्थगन दिया गया और दिनांक 27.04.2007 को मामला अंतिम निस्तारण हेतु सूचीबद्ध किये जाने के निर्देश के साथ सितम्बर 2007 में दिया गया।

11. इसके बाद मामला दिनांक 14.11.2007 को सुनवाई हेतु पेश हुआ और उक्त दिनांक को पक्षो को सुनने के पश्चात् निष्पादन कार्यवाहियो से संबंधित तथ्यों तथा डिक्रीटल राशि में त्रुटि के कारण वास्तविक राशि का भुगतान नही होने संबंधित तथ्याे को पेश करने के लिये मामला आगे के लिये स्थगित कर दिया गया, जिन पर डिक्री पारित किये जाते समय ध्यान नही गया था।

12. इसके बाद कस्टोडियन द्वारा दिनांक 20.01.2006 को पारित आदेश में संशोधन हेतु आवेदन दायर किया गया। इस आवेदन में यह स्पष्ट किया गया कि विशेष न्यायालय द्वारा दो अलग-अलग डिक्रियां पारित की गई जो प्रत्यर्थी नंबर 1 के खिलाफ

राशि 14265000/- मय ब्याज 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष भुगतान राशि प्राप्ति की दिनांक तक किया जाना है। तथा अन्य के लिये राशि 3214500/ मय ब्याज 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष भुगतान राशि प्राप्ति की दिनांक तक किया जाना है। इस तथ्य के बावजूद कुल राशि 17479500/ की डिक्री में राशि 14265000/ मय ब्याज करने उल्लेख करते हुये दो डिक्रियां पारित की गई। आवेदन में यह कहा गया कि कुल मूल भुगतान योग्य राशि मय ब्याज 17479500/ का उल्लेख होना चाहिए, बजाय राशि 14265000/ के, जैसा कि संकेत दिया गया है। तथा कथित आवेदन में यह प्रार्थना की गई कि दिनांक 20.01.2006 के आदेश में कुल राशि 17479500/- में से राशि 1575000/- घटा दिया जाकर संशोधित ओदश पारित किया जाये जो पहले से ही विशेष न्यायालय द्वारा किये गये डिक्री दिनांकित 08.06.1995 के अनुसार ब्याज सहित वसूल किया गया है।

13. अपील की सुनवाई के समय उक्त आवेदन की सुनवाई हुई थी।

14. तथ्य यह है कि राशि 14265000/- तथा राशि 3214500/- रूपये के संबंध में पारित की गई दो अलग-अलग डिक्रियां विवादित नही थी, हालांकि यह स्थापित करने का प्रयास किया गया कि दोनो अलग है और अलग से ही निपटना पडेगा। अपीलार्थी की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि आदेश दिनांकित 20.01.2006 में सम्पूर्ण डिक्रीटल राशि 14265000/- का भुगतान तीन किश्तो में दिया जा चुका था और कस्टोडियन द्वारा अतिरिक्त राशि 3214500/- मय ब्याज का दावे करने हेतु प्रयास किया गया।

15. हमें कस्टोडियन द्वारा प्रस्तुत विविध आवेदन संख्या 470/1999 में दिये गये आदेश दिनांकित 19.10.2003 में उल्लेखित डिक्रीटल राशि जो अपीलकर्ता के विरूद्ध दी गई, मे कोई बल नजर नही आता है। हम तदनुसार उक्त आवेदन को अनुमति देते है। डिक्रीटल राशि 15904500/- मय ब्याज इस प्रकार पढा जाये जैसा कि राशि

1575000/- जो विशेष न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री के केडिट में पहले से ही कस्टोडियन द्वारा वसूल की जा चुकी है।

16. डिक्रीटल राशि को ध्यान में रखते हुये विशेष न्यायालय द्वारा विविध याचिका संख्या 43/1995 दिनांकित 08 जून 1995 के आदेश में ब्याज सहित डिक्रीटल राशि में संशोधन किया गया, अपीलार्थी को शेष डिक्रीटल राशि का भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया जो तीन समान किश्तो में अप्रैल 2008 से शुरू होकर जून 30, 2008 तक दिया जाना था। प्रथम किश्त 15 अप्रैल 2008 को, अगली दो किश्त 15 मई 2008 तथा 30 जून 2008 तक भुगतान की जावेगी। अन्तिम किश्त में पहली दो किश्तो में टूटी हुई, बची हुई राशि जो कोई भी हो, शामिल होगी। विशेष न्यायालय मुंबई मे उक्त तिथि तक गारनिशी नोटिस की सुनाई स्थगित रहेगी और भुगतान में चूक होने के मामले में यह आदेश कार्यान्वित माना जावेगा और आदेश के खिलाफ अपील को पुनर्जीवित हो जावेगी।

17. लागत के संबंध में कोई आदेश नही होगा।

18. उपरोक्त शर्तो के अनुसार अपील का निपटारा किया जाता है।

एन.जे.

अपील निस्तारित।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुमन सिंघल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।